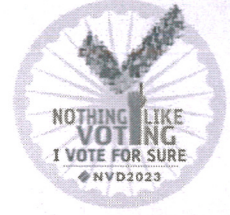




भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board



Office Order No. 11 of 2024

Sub : Transfer, Posting cases of Officers of SAG and above Level in Board's Office.

In partial modification of para 2(c) of Office Order No. 38 of 2022 dated 27.05.2022, it has been decided that transfer, posting cases of Officers of SAG and above level would be handled by Chairman & CEO's Confidential Cell under Establishment Officer (EO).

2. The above issues with the approval of Competent Authority.

No. 2024/O&M/7/5
New Delhi. Dated :15.03.2024

(T. Srinivas)
Joint Secretary/Railway Board
Email_id:t.srinivas1@gov.in
Tele No. : 011-47845551

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Daya Basti, New Delhi.

Copy to :

CRB& CEO, MF, M/Infra, M/O&BD, M/TRS
DG/HR, DG/Safety, DG/RHS, DG/RPF
Secretary/RB
EO , JS(G).

Copy for information to :

EDPG/MR, EDPG/MoSR(D), EDPG/MosR(J)



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board



2024 का कार्यालय आदेश सं. 11

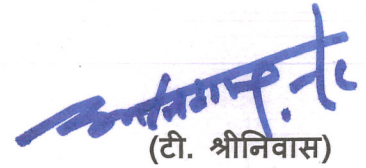
विषय: बोर्ड कार्यालय में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पदों और उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण, तैनाती सम्बंधी मामले।

रेलवे बोर्ड में 2022 के कार्यालय आदेश सं. 38 दिनांक 27.05.2022 के पैरा 2(ग) में आंशिक आशोधन करते हुए, यह विनिश्चय किया गया है कि बोर्ड कार्यालय में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड और उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरण, तैनाती संबंधी मामले स्थापना अधिकारी के अंतर्गत अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के गोपनीय कक्ष द्वारा देखे जाएंगे।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं. 2024/ओएंडएम/7/5

नई दिल्ली, दिनांक: 15.03.2024


(टी. श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

ई मेल:-t.srinivas1@gov.in

फोन नं- 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि प्रेषित:

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य वित्त, सदस्य/अवसंरचना, सदस्य/परिचालन एवं व्यवसाय विकास, सदस्य/कर्षण एवं चल स्टॉक महानिदेशक/मानव संसाधन, महानिदेशक/संरक्षा, महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवाएं, महानिदेशक/रेल सुरक्षा बल, सचिव/रेलवे बोर्ड स्थापना अधिकारी, संयुक्त सचिव(सामान्य)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (डी), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (जे)